बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। संकल्प ।।

विषयः– अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल (ISBT), पटना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में स्वीकृत ₹331.61 करोड़ (तीन सौ एकतीस करोड़ एकसठ लाख रु०) की योजना को संशोधित करते हुए ₹302.3421 करोड़ (तीन सौ दो करोड़ चौंतीस लाख इक्कीस हजार रु०) के योजना की स्वीकृति तथा हुडको से ऋण प्राप्त करने के बदले राज्य सरकार की निधि से इस योजना का कार्यान्वयन बुडको से कराये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

मौजा–पहाड़ी, पटना अवस्थित राज्य सरकार द्वारा अर्जित 25.02 एकड़ भूमि पर ISBT, पटना के कार्यान्वयन हेतु ₹331.61 करोड़ (तीन सौ एकतीस करोड़ एकसठ लाख रु०) की योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक– 27.10.2016 को प्रदान की गयी। यह स्वीकृति हुडको से बिहार सरकार की गारंटी के विरूद्ध ऋण प्राप्त कर बुडको द्वारा योजना का कार्यान्वयन करने हेतु प्रदान की गयी। तद्नुसार विभागीय संकल्प संख्या– 8167, दिनांक– 08.11.2016 निर्गत किया गया। ₹331.61 करोड़ (तीन सौ एकतीस करोड़ एकसठ लाख रु०) में से प्राक्कलन की राशि ₹275.21 करोड़ (दो सौ पचहत्तर करोड़ इक्कीस लाख रु०) सेंटेज की राशि ₹6.9521 करोड़ (छः करोड़ पंचानवे लाख इक्कीस हजार रु०), हुडको से ऋण हेतु Application fee इत्यादि ₹1.2078 करोड़ (एक करोड़ बीस लाख अठहत्तर हजार रु०) तथा निर्माण कार्य के दौरान हुडको को दी जाने वाली ब्याज की राशि ₹48.2406 करोड़ (अड़तालीस करोड़ चौबीस लाख छः हजार रु०) शामिल थी। परियोजना में हुडको से ऋण की राशि ₹260.00 करोड़ (दो सौ साठ करोड़ रु०) तथा राज्य सरकार का अंशदान ₹71.61 करोड़ (एकहत्तर करोड़ एकसठ लाख रु०) था।

2. स्वीकृति के पश्चात् बुडको द्वारा हुडको से ऋण प्राप्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई तथा इसकी स्वीकृति हुडको द्वारा प्रदान भी की गई। हुडको द्वारा रखी गई शर्तों के अलावा Certificate of Commitment on Shortfall of revenue की माँग की जा रही है। चूँकि पूर्व में ही ऋण के भुगतान हेतु Government Guarantee की स्वीकृति दी जा चुकी है, ऐसी परिस्थिति में किसी अतिरिक्त शर्त पर Certificate of Commitment देने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं हो रहा था।

3. हुडको द्वारा प्रावधानित सभी शर्तों को मार्च, 2017 में ही पूर्ण कर लिया गया था। तीन महीने की अवधि बीत जाने के पश्चात् भी अभी तक HUDCo द्वारा Loan की प्रथम किस्त की विमुक्ति नहीं की गयी है, जबकि योजना के क्रियान्वयन हेतु संवेदक का चयन कर उनके साथ एकरारनामा सम्पन्न किया जा चुका है तथा कार्य भी प्रारम्भ हो गया है तथा राज्य सरकार के अंशदान की प्रथम किस्त विमुक्त की जा चुकी है।

4. वर्णित स्थिति में इस समस्या के निदान हेतु दिनांक– 12.07.2017 को प्रधान सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में इस तथ्य पर विचार किया गया कि हुडको

से ऋण प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार के गारन्टी के बावजूद हुडको द्वारा ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और अपने शर्तों पर अड़ियल रूख अपनाया जा रहा है। राज्य सरकार की गारंटी में मूल धन एवं उससे संबंधित साधारण ब्याज के अतिरिक्त Additional interest, compound interest, Penal interest and all other monies which shall be or become due and payble to the Corporation from time to time under the loan agreement का प्रावधान रहने के बावजूद हुडको द्वारा "In case of shortfall of revenue, Government of Bihar will provide requisite funds to service HUDCo Loan." के शर्त जोड़ने की माँग की जा रही है।

बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस योजना को राज्य सरकार ही अपनी निधि से वित्त पोषित कर सकती है। इस हेतु प्रशासी विभाग पुनः मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे तथा नियमानुसार परियोजना का कार्यान्वयन करेंगे।

5. तद्नुसार बुडको से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बुडको द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पूर्व स्वीकृत योजना में चहारदिवारी निर्माण कार्य तथा मिट्टी भराई का कार्य सन्निहित नहीं था। मिट्टी भराई कार्य हेतु ₹14.82 करोड़ (चौदह करोड़ बेरासी लाख रु०) की राशि आकलित की गई है। मिट्टी भराई का कार्य अत्यन्त ही आवश्यक है, क्योंकि प्रस्तावित भूमि पटना गया रोड से लगभग 3.015 मीटर नीचे है, जिसमें वर्षा के समय जल जमाव हो जाता है। चाहरदिवारी निर्माण हेतु आकलित राशि ₹5.36 करोड़ (पाँच करोड़ छत्तीस लाख रु०) अनुमानित है। इस प्रकार चाहरदिवारी एवं मिट्टी भराई कार्य को सन्निहित करते हुए परियोजना की संशोधित राशि ₹302.3421 करोड़ (तीन सौ दो करोड़ चौंतीस लाख इक्कीस हजार रु०) है, जो सरकार द्वारा पूर्व में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹331.61 करोड़ (तीन सौ एकतीस करोड़ एकसठ लाख रु०) के अन्तर्गत है।

6. बुडको से प्राप्त संशोधित प्रस्ताव के अनुसार परियोजना लागत निम्नवत् पायी गयी :–

Sl. No.	Item	Amount (in Crore)
i	Tenderd Cost	275.21
ii	Centage (as per new instruction given by finance deptt.)	6.9521
iii	Cost for earth filling	14.82
iv	Cost for Boundry wall	5.36
	Total Project Cost	**302.3421**

7. परियोजना व्यय ₹302.3421 करोड़ (तीन सौ दो करोड़ चौंतीस लाख इक्कीस हजार रु०) का व्यय राज्य योजनान्तर्गत मुख्य शीर्ष– 2217 के नागरिक सुविधा मद से किया जायेगा, जिसका विपत्र कोड– **48- 2217011910109** है। विभिन्न वित्तीय वर्षों में व्यय किये जाने वाले राशि की विवरणी निम्नवत् है:–

(राशि करोड़ में)

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	कुल प्राक्कलित राशि	राज्य योजना से दी जाने वाली कुल राशि	व्यय प्रतिशत	राज्य योजना से व्यय की जाने वाली राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	2017–18	302.3421	302.3421	25%	75.5855
2.	2018–19			50%	151.1710
3.	2019–20			25%	75.5856
	कुल योग	**302.3421**	**302.3421**	**100%**	**302.3421**

8. उपर्युक्त निर्णय में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक– 19.09.2017 के मद संख्या– 08 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

26/9/2017

(चैतन्य प्रसाद)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः 2ब०/ना०सु०–03–18/2013 6480 /न०वि०एवं आ०वि०/दिनांक–04/10/17

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जायें।

26/9/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः 2ब०/ना०सु०–03–18/2013 6480 /न०वि०एवं आ०वि०/दिनांक–04/10/17

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/विभागाध्यक्ष, बिहार सरकार/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/सभी नगर पंचायत/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, बुडा/कोषागार पदाधिकारी, सभी कोषागार, बिहार/सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/9/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः 2ब०/ना०सु०–03–18/2013 6480 /न०वि०एवं आ०वि०/दिनांक–04/10/17

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बुडको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि सरकार के निर्णय के आलोक में अविलम्ब अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

26/9/2017

सरकार के प्रधान सचिव।